

## पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०:- 68/2021

इस कार्यालय के पत्रांक-का/283/VI/अंतर रेलवे मंडल/स्था०/विद्युत/सोन-1 दिनांक-07.12.2020 एवं मरेप्र (का०) वाराणसी मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे के पत्र सं०-का/परि./283/111/अं.रे.अं.मं./पार.स्था./का.वा./19-20 दिनांक-09.10.2020 द्वारा श्री मुकेश कुमार मांझी,हेल्पर,वि०(गाड़ी प्रकाश)/बरौनी, एवं श्री सुधीर कुमार चौरसिया, सहायक कौटावाल/परि.थावे ज०/वाराणसी मंडल के साथ जी.पी.-1800 लेवल-01 में अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों रेल/मंडलों की सहमति प्राप्त है। अतः रेल परिषद के पत्र सं०-ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.18 के आलोक में श्री मुकेश कुमार मांझी, हेल्पर,वि०(गाड़ी प्रकाश)/बरौनी को पारस्परिक स्थानान्तरण पर वाराणसी मंडल विरमित किया जाना है। कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित किया जाए।

1. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
2. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
4. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त पर वमंयाई/समाडि/सोनपुर महोदय द्वारा आदेशित है।

(विजय इंजीनियर),

सकाधि-111

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोन,

दिनांक:-27.01.2021

पत्र सं०-का/283/VI/अंतर रेलवे मंडल/स्था०/विद्युत सोन  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेक्षित:-

1. वमंविई/सोनपुर।
2. वमंयाई/सोनपुर।
3. वमंविप्र/सोनपुर।
4. मरेप्र(का०)वाराणसी मंडल/पूर्व मध्य रेलवे।
5. सी०से०ई०(गाड़ी प्रकाश)/सोनपुर,हाजीपुर,बरौनी,मानसी एवं थानाबिहपुर।
6. संबंधित कर्मचारी।
7. अभिलेख प्रति।
8. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयू, अजा, अजजा, एवं ओ०बी०सी० एमो सोनपुर मंडल।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोन,